पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0-0-3-23/2018 (खंड)/ 77 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण/कैमूर/सुपौल/बाँका/मुंगेर/मधेपुरा/नवादा/सहरसा/अरवल/वैशाली।

पटना–15, दिनांक– 18/1/19

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹ 184.472 लाख (एक करोड़ चौरासी लाख सैतालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।
उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान
मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	सारण	352.381 (तीन करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार एक सौ)	24.00 (चौबीस लाख)	376.381 (तीन करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ)
2	कैमूर	192.619 (एक करोड़ बानवे लाख इकसठ हजार नौ सौ)	20.30 (बीस लाख तीस हजार)	212.919 (दो करोड़ बारह लाख इक्यानवे हजार नौ सौ)
3	सुपौल	192.00 (एक करोड़ बानवे लाख)	16.00 (सोलह लाख)	208.00 (दो करोड़ आठ लाख)
4	बाँका	108.00 (एक करोड़ आठ लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)
5	मुंगेर	269.413 (दो करोड़ उनहत्तर लाख इकतालीस हजार तीन सौ)	24.043 (चौबीस लाख चार हजार तीन सौ)	293.456 (दो करोड़ तिरानवे लाख पैतालीस हजार छः सौ)
6	मधेपुरा	345.41 (तीन करोड़ पैतालीस लाख इकतालीस हजार)	24.00 (चौबीस लाख)	369.41 (तीन करोड़ उनहत्तर लाख इकतालीस हजार)
7	नवादा	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)	8.00 (आठ लाख)	124.00 (एक करोड़ चौबीस लाख)
8	सहरसा	486.537 (चार करोड़ छियासी लाख तिरपन हजार सात सौ)	8.129 (आठ लाख बारह हजार नौ सौ)	494.666 (चार करोड़ चौरानवे लाख छियासठ हजार छः सौ)
9	अरवल	28.00 (अठाईस लाख)	12.00 (बारह लाख)	40.00 (चालीस लाख)

10	वैशाली	278.12 (दो करोड़ अठहत्तर लाख बारह हजार)	12.00 (बारह लाख)	290.12 (दो करोड़ नब्बे लाख बारह हजार)
कुल योग		2368.48 (तेईस करोड़ अड़सठ लाख अड़तालीस हजार)	184.472 (एक करोड़ चौरासी लाख सैतालीस हजार दो सौ)	2552.952 (पच्चीस करोड़ बावन लाख पनचानवे हजार दो सौ)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 987 दिनांक 28.11.18/कैमूर के पत्रांक 666 दिनांक 10.12.18, 667 दिनांक 10.12.18, 680 दिनांक 15.12.18 एवं 681 दिनांक 15.12.18/सुपौल के पत्रांक 1237–2 दिनांक 15.12.18/बाँका के पत्रांक 195 दिनांक 19.12.18/मुंगेर के पत्रांक 1580 दिनांक 24.12.18/मधेपुरा के पत्रांक 982 दिनांक 20.12.18, 983 दिनांक 20.12.18, 981 दिनांक 20.12.18, 985 दिनांक 20.12.18, 986 दिनांक 20.12.18 एवं 984 दिनांक 20.12.18/नवादा के पत्रांक 02 दिनांक 02.01.19 एवं 460 दिनांक 24.12.18/सहरसा के पत्रांक 2–1 दिनांक 04.01.19 एवं 01–1 दिनांक 04.01.19/अरवल के पत्रांक 210 दिनांक 18.12.18 एवं 211 दिनांक 21.12.18/वैशाली के पत्रांक 22 दिनांक 10.01.19, 20 दिनांक 10.01.19 एवं 21 दिनांक 10.01.19 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 एवं 1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.18 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों /घायलों /पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. **विभागीय पत्रांक 4310/आ0प्र0 दिनांक 11.12.18 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में उक्त अनुग्रह अनुदान की राशि PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे आपदा पीड़ितों के खाते में हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित किया जाय।**

7 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/01/19

अपर सचिव

ज्ञापांक– 77 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 18/1/19

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/19

अपर सचिव

ज्ञापांक– 77 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 18/1/19

प्रतिलिपिः संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/19

अपर सचिव

ज्ञापांक– 77 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 18/1/19

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/19

अपर सचिव

ज्ञापांक – 77 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 18/1/19

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/19

अपर सचिव

ज्ञापांक– 77 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 18/1/19

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/19

अपर सचिव